ISSN: 0973-0583

भोजुपर जिला में अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन

शैलेश कुमार

शोध छात्र, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

डॉ0 महेश प्रसाद सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, एस.पी.एम. कॉलेज, बिहारशरीफ, नालन्दा

सारांश

अनुसूचित जाति की महिलाएँ सामाजिक और आर्थिक असमानता का सामना करती हैं, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित होती हैं। सरकारी योजनाएँ इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता अभी भी है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार अधिक से अधिक मिलना चाहिए। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचाने के लिए सुधार करने की आवश्यकता हैं, जिससे उनका विकास में सहयोग हो सके। सरकारी योजनाएँ और समर्थन कार्यक्रमों को मजबूत करने के साथ-साथ समाज को जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण कार्य हैं।

परिचयः

स्वाधीनता के बाद दलित वर्गों की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। उनके हाशियें पर रहने और बहिष्कार की स्थिति बनी रहती है जो एक लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती है। ऐतिहासिक दौर से ही अनुसूचित जाति की महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा प्रणाली एवं संपति के अधिकार से वंचित रखा गया तथा उन्हें खास व्यावसायिक गतिविधियों में बांधकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा गया।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थितिः

सामाजिक परिमंडल में आज भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को छुआछूत की स्थिति झेलनी पड़ती है। अनुसूचित जातियों का अधिकतर निवास स्थान गाँवों में, गाँव से बाहर दक्षिण भाग में और शहरों में झुगियों में रहती हैं। जहाँ पर सड़क पेयजल, स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताओं से उन्हें वंचित रहना पड़ता है।

संविधान में वर्णित आरक्षण भेदभाव के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिलाओं को समाज और राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित करता है और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है लेकिन समाज में आर्थिक असमानता है जो स्वतंत्रता के बाद आई है। एक तरफ एक वर्ग के पास बहुत अधिक संपति जमीन तो दूसरी तरफ एक वर्ग के पास ना तो कोई जमीन है ना ही कोई संपत्ति है, इसका अर्थ है कि एक खास वर्ग लाभान्वित होता रहा है और बड़ी संख्या में गरीब हाशिये पर बने हैं और अवसरों की उपलब्धता इनके लिए सीमित हो रही है। मार्क ब्लेंडर तर्क देते हैं कि भेदभाव के खिलाफ संरक्षण के बिना स्वतंत्रता के कई सालों तक भी अनुसूचित जाति के लोगों की व्यवस्था से बाहर बने रहे हैं। वे सामाजिक भागीदारी हासिल नहीं कर पाए हैं।

वैश्वीकरण के साथ-साथ छोटा लेकिन प्रभावशाली शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं की पैठ राजनीतिक में बढ़ी है जिसे समाज में दलित महिलाओं के प्रति लोगों का नजरियां बदल रहा है। साथ ही, स्थानीय सरकारों को इन महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ चलानी चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि हासिल करने का मौका मिले। सामाजिक संगठनों और अधिकार संरक्षण समितियों को भी इन महिलाओं के समर्थन में अधिक सक्रिय रूप से योजनाएँ बनाने और कार्रवाई करने का कार्य करना चाहिए।

समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें सुविधा प्रदान करके शक्तिशाली वर्गों के सामान लाना, जिसे स्वयं को इतना सशक्त बना ले कि उनका शोषण या उनके साथ अन्याय न किया और वह समाज के अन्य वर्गों की तरह विकास के मुख्य धारा से जुड़कर अपनी भूमिका निभा सके। आज हमारे देश में दलितों, आदिवासियों,

महिलाओं, अपंगों, अल्पसंख्यको के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसी न किसी रूप में कमजोर वर्गो में गिना जाता है और उनके सशक्तिकरण की बातें बड़े जोर शोर से हो रही हैं। सरकार द्वारा निर्मित नीतियों में भी इन वर्गो के उत्पीड़न शोषण अत्याचार और समानता को दूर करने के लिए सशक्तिकरण को एक उपयुक्त और प्रभावशाली रूप में देखा जा रहा है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति के विषय में एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि भारतीय समाज में सदैव सक्रिय और सशक्त रही हैं जो महिलाओं का कड़ा विरोध करती रही है। इस प्रकार महिलाओं के प्रति अनेक सामाजिक पूर्वाग्रह हमारे समाज में पहले से प्रचलित है जैसे कि पुरुष की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर है। महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य पति और बच्चों की देखभाल करना है उन्हें घर की इज्जत को बनाए रखना, सहनशीलता, लज्जाशील, आज्ञाकारी और मेहनती होना चाहिए। इस अपने व्यक्तित्व के विकास को एक तरफ रखकर केवल परिवार की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। लड़की के तुलना में लड़कों की शिक्षा, खान-पान, पहनावा और व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी पूर्वाग्रहों और अवधारणाओं के कारण ही महिलाएँ अपने स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाई।

आर्थिक स्थिति :

भोजपुर जिला, बिहार, अनुसूचित जाति की महिलाओं का आर्थिक स्थिति एक गहरी समस्या का केन्द्र है। इन महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ महसूस होता है, जिससे उन्हें विकास के सामाजिक सुरक्षा और विकेन्द्रीकरण के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इन महिलाओं का प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि है, लेकिन संकटों के कारण उन्हें सही मूल्य नहीं मिलता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता ने इन महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर दिया है, जिससे उनका समृद्धि में सहयोग नहीं हो पा रहा है।

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इन महिलाओं को आर्थिक समर्थन और विकास के लिए अधिक सवर्धित करना आवश्यक है। उन्हें अधिक संभावना देने के लिए कौशल विकास की योजनाएँ चलानी चाहिए, ताकि वे स्वयं निर्भर बन सकें और अपने परिवारों को भी सहारा प्रदान कर सकें। समाज में सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक शिक्षा और समरसता की भावना को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। इससे न केवल इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में भी सामाजिक समरसता की भावना में सुधार होगा। आखिरकार, अनुसूचित जाति की महिलाओं का आर्थिक समृद्धि में सहयोग करने के लिए सभी स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुविधाओं को सुधारने की जरूरत है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति सशक्त बनाने के प्रकार :

अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता की स्थिति समाज को एक मजबूत आधार देने का काम करती है। महिलाओं को सशक्तिकरण में जो पहलुओं का समावेश होता है उसे निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है :-

1. **व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता :** अनुसूचित जाति की महिलाएँ व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। उन्हें सकारात्मक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में समर्थन मिल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और समाज में समरसता का योगदान दे सकती हैं।

2. **सामाजिक आत्मनिर्भरता :** सामाजिक आत्मनिर्भरता का मतलब है व्यक्ति की समाज में स्थिति, स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से स्वाधीनता और स्वायत्तता की प्राप्ति करना। यह सामाजिक और आर्थिक, संदर्भ में समरस बनने की क्षमता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है।

3. **आर्थिक आत्मनिर्भरता :-** अनुसूचित जाति की महिलाओं का आर्थिक, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि वे अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें उन्हें व्यावसायिक क्षमता विकसित करने, अधिकारों की सुरक्षा करने और समाज में अधिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संघर्ष करना शामिल हैं। इसके लिए सकारात्मक शिक्षा, सामाजिक समरसता और आर्थिक समरसता की स्थापना में समर्थन की आवश्यकता होती है।

4. **राजनीतिक आत्मनिर्भरता :** अनुसूचित जाति की महिलाओं का राजनीतिक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रियता दिखाती हैं। अपने अधिकारों की रक्षा करती हैं और समाज में समरसता की दिशा में योगदान देती हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा, सामाजिक समरसता और समाज में अधिकारों की समझ में

सहायता की आवश्यकता होती हैं। राजनीतिक आत्मनिर्भरता से वे स्वयं को अधिक सशक्त महसूस करती हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन में योगदान कर सकती हैं।

5. **वैधानिक आत्मनिर्भरता:** अनुसूचित जाति की महिलाओं का वैधानिक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि वे अपने वैधानिक अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करके समाज में समरसता और न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसमें उन्हें समाज में अपनी जगह बनाए रखने, शिक्षा और रोजगार के अधिकार का उपयोग करने और विभिन्न विषयों में सकारात्मक रूप से सहयोग करने का प्रयास शामिल है।

6. **मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता :** अनुसूचित जाति की महिलाओं का मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का सही ध्यान रखकर, स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग करके और सहयोग से अपने मानसिक क्षमताओं को सुधारती हैं। इसमें उन्हें मानविकी, मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता मिलती है ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक आर्थिक अनुसंधान पद्धति :-

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सामाजिक एवं आर्थिक अनुसंधान की पद्धति में उन्हें अपने समाज में समस्याओं का अध्ययन करने और समाधान की खोज करने के लिए सक्षम किया जा सकता है। इसमें समाजशास्त्र, आर्थिक अनुसंधान और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण शामिल हो सकता है। इसके माध्यम से उन्हें समाज में अधिक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में योजनाएँ बनाने की क्षमता मिलती हैं। प्रयोगशील अनुसंधान, जिसमें महिलाएँ स्वयं या समूह के साथ मिलकर अपने समाज में जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए और वित्तीय उपायों की खोज करती है। इस पद्धति में, महिलाएँ अपने अनुभवों, ज्ञान और सृजनात्मक विचारों का संग्रहण करके समस्याओं का समाधान तैयार करती हैं और इसे अपने समूह के साथ साझा करती हैं। इससे सामाजिक समरसता और सामाजिक सुधार में सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है।

उद्देश्य:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित तथा विकास निगम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अन्य स्रोतों से वित तथा फंड उपलब्ध कराने वाली मुख्य संस्था है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करना और उन्हें सामाजिक रूप से समर्थ बनाना। आर्थिक दृष्टि से, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन, उधमिता और आर्थिक समर्थता की स्थिति में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है।

सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव में भागीदारी बढ़ाना, जिससे उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में योगदान करने का मौका मिले। इसके साथ ही, उन्हें आत्मनिर्भरता की ऊँचाइयों तक पहुँचने के लिए विभिन्न योजनाएँ और प्रोग्राम शुरू करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम करना, उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका देना, और उन्हें सामाजिक संरचना में सकारात्मक रूप में शामिल करना। इसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और समाज में प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना भी शामिल है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को सामाजिक संरचना में अधिक से अधिक भागीदारी में शामिल करना, जिससे उन्हें समाज में सम्मान और पहचान मिले। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक दलीलों, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक समर्थन का समर्पित स्थान मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन, रोजगार के अवसरों तक पहुँचाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसमें उन्हें विभिन्न आर्थिक योजनाओं और अवसरों का लाभ उठाने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य शामिल हैं। एक और आर्थिक उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति की महिलाएँ आर्थिक समर्थता प्राप्त करके अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखे, उन्हें संबल और आर्थिक सहारा प्रदान करें। इनके लिए उन्हें वित्तीय योजनाओं, बैकिंग सेवाओं और उद्यमिता के क्षेत्र में समर्थ बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान :-

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

1. **शिक्षा को प्रोत्साहन :-** शिक्षा महिलाओं का सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है सरकार को निम्न

शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

2. **रोजगार के अवसर:** स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजनाएँ बननी चाहिए जो अनुसूचित जाति की महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़े।

3. **स्वास्थ्य सेवाएँ :** स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करने के लिए उपयुक्त सुविधा प्रदान करना आवश्यक है सामुदाय केंद्रित स्वास्थ्य कैंपस और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का पहुँच बढ़ाया जा सकता है।

4. **आर्थिक सहायता**- आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं और सामूहिक ऋणों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है।

5. **सामाजिक बदलाव :**- सामाजिक संरचना में बदलाव के लिए सामूहिक चेतना बढ़ाना आवश्यक है। समुदाय के सभी सदस्यों को मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए काम करना होगा।

निष्कर्ष :

भोजपुर जिले की अनुसूचित जाति की महिलाएँ, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सरकारी योजनाओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक समर्थन के लिए सहायता मिल रही है। इन महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. आशुरानी एवं सचदेवा, जे.के. "महिला विकास कार्यक्रम, इन श्री पब्लिशर, जयपुर 2002
2. अग्रवाल, गिरिजाशरण एवं अग्रवाल, मीना,"नारी कल और आज", हिंदी साहित्य निकेतन, बिजनौर 2009
3. अग्रवाल चंद्र मोहन, भारतीय नारी: विविध आयाम, अल्मोड़ा बुक डिपो प्रकाशन, उत्तर प्रदेश, 1993
4. आशु रानी, "महिला विकास कार्यक्रम", इना श्री पब्लिशर, जयपुर, दूसरा संस्करण, 2002
5. अंबेडकर भीमराव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, हरियाणा सहकारी प्रेस, 165-166, इंडस्ट्रियल एरिया,फेज-1,चंड़ीगढ़ से मुद्रित।
6. कुमार मनीष, महिला सशक्तिकरण : दशा और दिशा- मधुर बुक्स पब्लिशर, कृष्णा नगर, दिल्ली-2008
7. कुमार सतीश, उठ रही है आधी आबादी, शहर प्रकाशन, रोहतक-2005
8. कुमार अशोक, आर्थिक स्वतंत्रता और दक्षिण भारत में अनुसूचित जातियों के सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, कॉल दीप प्रकाशन, दिल्ली, 2005
9. केलकर, के. स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक विकास में शिक्षा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कुरूक्षेत्र, खंड-55, 2001
10. कटारिया, सुरेंद्र, आर्थिक नीति एवं प्रशासन, मलिक एंड कंपनी, जयपुर, 2007
11. ओझा, आभा, महिला सशक्तिकरण जयपुर प्रशासनिक खंड, संख्या-2
12. कुमार, अनिल 'समाज कल्याण कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना 'गीता प्रकाशन, नई दिल्ली-2011
13. घोष, जी.के.ऑर घोष शुक्ला, दलित महिला' एपी. एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 1997
14. परमार, पी.एम. भारत में समाज कल्याण और सामाजिक कार्य' सबलाइम, पब्लिकेशन, जयपुर, 2002
15. भाटिया, कांता, प्राचीन वैदिक साहित्य में नारी की स्थिति फीमेल स्टडी सेंटर, नई दिल्ली, 2003
16. भारद्वाज अनिल, भारत में अनुसूचित जातियों का कल्याण, दीप और दीप, पब्लिकेशन, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-2002
17. मिश्र, भारती, भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास योजनाएँ, विकास परिचर्या, व्यावहारिक शोध एवं विकास संस्थान, लखनऊ, 2008
18. मुखर्जी, मोनिका, महिला अधिकार और कानून, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2013
19. राजकुमार, नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2016
20. सचदेवा, डी.आर. भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद, 2004
21. वार्षिक प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-1982-84
22. वार्षिक प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-1985-87

❖❖❖